न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.
विभागीय अपील संख्या 16/2021

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
ओमप्रकाश जैन, तत्कालीन तहसीलदार रानी हाल– तहसीलदार अन्ता जिला– बांरा।		जिला कलेक्टर, पाली।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 आदेश विरूद्ध जिला कलेक्टर, पाली क्रमांक प.1(17)(5)संस्था/2017/164 दिनांक 05..01.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया।

निर्णय

दिनांकः दिसम्बर, 2021

1. अपीलान्ट के द्वारा यह विभागीय अपील जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 05.01.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर, उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष राज0 असैनिक सेवाये नियम, 1958 के नियम 23 के तहत दिनांक 16.12.2020 को प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर, पाली से अपील पर उनकी बिन्दूवार टिप्पणी एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मूल अभिलेख पत्रावली को तलब किया गया।
3. अपीलान्ट के विरूद्ध जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्र दिनांक 13.04.2017 के द्वारा यह आरोप आरोपित किया गया किः––

    1. आप श्री ओमप्रकाश जैन, ततकालीन तहसीलदार रानी के पद पर कार्यरत रहते हुए ग्राम बालराई तहसील रानी के ख0सं0 380/1 किस्म बारानी दोयम भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार करणसिंह पुत्र मोतीसिंह राजपूत द्वारा अपने हिस्से का बेचान मदन कंवर पत्नी गजेन्द्रसिंह को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 18.6.12 को करने से पटवारी द्वारा नामा0 बाद जॉच प्रस्तुत करने व भू0अ0निरीक्षक कीरवा द्वारा इन्द्राज सही का अंकन करते हुए पेश होने पर आप द्वारा दिनांक 30.6.15 को अपीलान्ट के पक्ष में पारित कर दिया तदुपरान्त आपने यह नामा0 संख्या 1130 पर स्टे का अंकन करते हुए दिनांक 30.9.15 अस्वीकृत कर दिया। Reviewed, Stay एवं अस्वीकृत करके खारिज किया गया। इस प्रकार आप द्वारा विधि विरूद्ध एवं मनमानी ढंग से उक्त नामा0 स्वीकृत/अस्वीकृत करने का आदेश दिया गया। आपका यह कृत्य राजस्व नियमों एवं पदीय

कर्तव्यों का उल्लंघन है। आपका यह कृत्य राज0 सेवा नियम 1958 के नियम 17 के दण्डनीय है।

4. अपीलान्ट के द्वारा अभिलेख का निरीक्षण करने के उपरान्त दिनांक 13.11.2017 को व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपना जवाब प्रस्तुत किया। अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया कि उनके तहसीलदार रानी के पद पर पदस्थापन्न अवधि के दौरान ग्राम बालराई के ख0सं0 380/1 की भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार करणसिंह द्वारा बेचान श्रीमती मदनकंवर के हक में किये जाने का नामा0 संख्या 1130 दिनांक 30.6.15 को अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत किया गया था। उक्त भूमि के बेचान पर स्थगन आदेश ध्यान में आने पर मैने न्यायालय के आदेश की अनुपालना में उक्त नामा0 को क्रेता को मौखिक सूचना जरिये दूरभाष पर दी जाकर इस नामा0 संख्या 1130 को रिव्यू कर न्यायालय आदेश के अध्याधीन निरस्त कर दिया जिसमें मेरी कोई बदनियती नहीं थी। प्रकरण में उनके द्वारा वांछित नकले समय पर नहीं मिलने के कारण जवाब प्रस्तुत करने में विलम्ब होना बताया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर पाली के द्वारा अपीलान्ट के प्रत्युतर को संतोषजनक नहीं मानते हुए तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये स्वीकृत नामा0 संख्या 1130 को अस्वीकृत कर दिये जाने को उचित नहीं मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2018 द्वारा उनकी दो आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलान्ट ने अपील में उक्त अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को दोहराते हुए यह भी कथन उल्लेखित किये कि जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पारित दण्डादेश प्रकरण की वास्तविक स्थिति के विरूद्ध है। प्रार्थी तहसील रानी में तहसीलदार के पद पर पदस्थापित था, तब ग्राम बालराई की भूमि ख0सं0 380/1 के 1/2 भूमि के खातेदार करणसिंह पुत्र मोतीसिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 18.6.12 को कर दिये जाने विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 संख्या 1130 पटवारी द्वारा भरकर, भू0अ0निरीक्षक की जॉच के उपरान्त मेरे समक्ष प्रस्तुत करने पर मैंने विधि अनुसार दिनांक 30.6.15 को नामा0 तस्दीक कर दिया, यह कार्य मैनें नियमानुसार पूर्ण किया था। तत्पश्चात करीब 02 माह बाद मेरे संज्ञान में यह आया कि जो नामा0 तस्दीक किया गया है, उस भूमि के सम्बन्ध में पूर्व से ही राजस्व न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है। पटवारी व भू0अ0 निरीक्षक द्वारा होने पर भी तथ्यों को छुपाकर नामा0 तस्दीक हेतु प्रस्तुत कर तस्दीक कराया गया है। यह मेरे प्रसंज्ञान में आने पर मेरे द्वारा सम्बन्धित क्रेता से दूरभाष से तलब किया गया और उसे बताया कि न्यायालय के स्थगन आदेश की बात को छुपाकर यह नामा0 दिनांक 30.6.15 को मुझसे तस्दीक कराया है जो विधि अनुरूप नहीं होने से इसे खारिज कर रहा हूॅ तथा मैनें नामा0 पर स्टे लिखकर दिनांक 30.9.15 को अस्वीकृत कर दिया। इस प्रकार मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की पालना की गई थी। इसमें मैंने कोई कृत्य दुर्भावना पूर्ण नहीं किया है। सम्बन्धित पटवारी हल्का एवं भू0अ0निरीक्षक की

लापरवाही अथवा गलती के कारण यह नामा0 तस्दीक हो गया था जिस पर स्थगन होने की जानकारी मिलते ही मैने निरस्त कर अपने कर्तव्य का पालन किया है तथा क्षेत्राधिकार से बाहर का कार्य नहीं किया है।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन उल्लेखित किये कि जिला कलेक्टर पाली ने उक्त दण्डादेश दिनांक 05.01.2018 में यह माना जाना कि पक्षकारों को बिना तबल किये व बिना सुने मैंने निरस्तीकरण के आदेश जारी किये गये, यह पूर्णतया गलत हैं। स्थगन की बात का ज्ञान होते ही क्रेता को दूरभाष पर बुलाया जाकर उससे स्थगन आदेश के सम्बन्ध में बताकर ही मैने यह निरस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था जो पूर्ण तया विधि अनुरूप है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजी से सम्बन्धित दोनों ही पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य है तथा सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 74/2017 अनवान कल्याणसिंह बनाम मदनकंवर वगैराह में दिनांक 15.01.2018 को राजीनामें के आधार पर अपील को विड्रो खारिज की जा चुकी है, ऐसे में कोई कानूनी विवाद का बिन्दू शेष नहीं बचा है। अपीलान्ट राजस्व कार्य में वर्तमान पदस्थापन स्थान पर व्यस्त होने से सम्बन्धित पत्रादि की फोटोप्रतियॉ एकत्रित करने में समय लग जाने के कारण निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था जो अब प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलान्ट की अपील को उपरोक्त समस्त तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2018 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट को राहत प्रदान करावें।

7. अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर पाली कार्यालय से प्राप्त टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के स्टे के आधार पर नामान्तकरण को खारिज करने हेतु निर्धारित विधिक प्रक्रिया व नियमों की पालना किय बगैर नामा0 संख्या 1130 को अस्वीकृत कर दिया जो बिना पक्षकारों की सुनवाई हेतु किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही रिव्यू के लिये कोई पत्रावली संधारित की गई। रिव्यू करने की दिनांक में कांटछाट की गई जिससे सन्देह प्रतीत होता है। आरोपित आरोप के सम्बन्ध में प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं होने से अपीलान्ट को प्रकरण में दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश के तहत उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है जो यथावत रखा जावें।

8. हमने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में उल्लेखित तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर पाली द्वारा प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया।जिला कलेक्टर पाली के द्वारा अपीलान्ट के तहसीलदार रानी जिला पाली के पद पर कार्यरत रहने के दौरान उपरोक्त कृत्य के लिये एक आरोप से आरोपित किया गया है। जिला कलेक्टर पाली कार्यालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया किया। जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए बेचान दस्तावेज के आधार पर दायर नामा0 संख्या 1130 को स्वीकृत/तस्दीक करने के समय राजस्व न्यायालय सहायक कलेक्टर पाली के न्यायालय की ओर से जारी स्थगन आदेश के तथ्य पटवारी हल्का एवं

भू0अ0 निरीक्षक के द्वारा ध्यान में नहीं लाया गया है तथा स्थगन प्रार्थना पत्र पर स्थगन पारित होने की जानकारी सम्बन्धित पक्षकार के द्वारा तत्समय नहीं दी गई। अपीलान्ट तहसीलदार को उक्त स्थगन आदेश जारी होने की जानकारी होने पर उनके द्वारा मौखिक रूप से नामा0 स्वीकृत के पक्षकार को मौखिक रूप से दूरभाष पर इत्तला दी जाना तथा उक्त नामा0 को स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित करने की सदभाविक भावना के आधार पर नामा0 को अस्वीकृत करने की कार्यवाही अपीलान्ट तहसीलदार के द्वारा की जाना प्रतीत होता है, साथ ही इस बात से भी सहमत है कि सम्बन्धित न्यायालय/अधिकारी को अपने आदेश को रिव्यू करने हेतु राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 86 के तहत प्रावधान निर्धारित किये हुए है जिसमें पत्रावली संधारित कर पक्षकार को सुनकर यथोचित रिव्यू आदेश जारी किये जाते है। अपीलान्ट तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित पक्षकार को स्थगन आदेश की जानकारी ध्यान में उसको मौखिक रूप से सूचित किया जाना बताया है।

9. इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि के स्वीकृत नामान्तरकरण के सम्बन्ध में उच्चतर राजस्व न्यायालय सम्भगीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई अपील संख्या 74/2017 को अपीलान्ट की ओर से विड्रो किया जाना भी रेकर्ड के अवलोकन से प्रकट होता है। इस प्रकार उपरोक्त नामा0 संख्या 1130 के स्वीकृत/ अस्वीकृत होने सम्बन्धी कार्यवाही से किसी पक्षकार विशेष को अप्रत्यक्ष रूप से हानि–लाभ नहीं हुआ है। अपीलान्ट तहसीलदार उक्त स्वीकृत नामा0 को अपने स्तर से ही निरस्त/खारिज किये जाने की कार्यवाही मात्र विधिक प्रक्रिया की त्रुटि अवश्य हुई है, परन्तु इसे लापरवाही या बदनियती की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार/ विश्लेषण करने के उपरान्त हमारे मत में जिला कलेक्टर पाली द्वारा अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का जो आदेश जारी किया गया है, उसे बहाल रखा जाना उचित नहीं होगा।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2018 को निरस्त किया जाता है। साथ ही अपीलान्ट को अलिखित चेतावनी दी जाती है कि वे भविष्य में विभागीय कार्य समय पर एवं सजगतापूर्वक सम्पन्न करें। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर